17.7.2018
वकील उभयपक्ष हाजिर/एस० डी० ओ० साहब
दौरे पर/दीगर काम/अवकाश पर है। पत्रावली
वास्ते तलबी दि० 27-9.18 का पेश हो

SDO सा० आज्ञा से

27.9.18 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया जो रेकार्ड पर लिया जाता है। बहस हेतु उभयपक्ष ने निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि मौजा कपासन तहसील कपासन के हल्के गेलनी की हाल आ०न० 1865 रकबा 0.39 हे० तथा आ०न० 1866 रकबा 0.04 हे० कुल किता 2 कुल रकबा 0.43 हे० स्थित है जिसके साबिक पैमाइश के नम्बर 933 रकबा 2 बिघा थे। उक्त आराजियात हम प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। कि उक्त आराजियात का साबिक पैमाइश का नक्शा व हाल पैमाइश के नक्शे में काफि अन्तर है। व इस प्रकार है कि उपरोक्त आराजियात के दक्षिण दिशा की तरफ साबिक नक्शे में बराबर अंकित थी लेकिन हाल ही में इस मौजे का सेटलमेन्ट हुआ उसमे सेटलमेन्ट कर्मचारियो ने उक्त आराजियात के दक्षिण तरफ रकबे की कमी कर आ०न० 1866 को छोटा बता सीमा व दक्षिण तरफ हाल नक्शे मे जो डोटेड लाइन बता रखी है वह तक आ०न० 1866 होना चाहिये। व प्रार्थीना की प्रार्थना-पत्र स्वीकार करमा कपासन की हाल आ०न० 1665, 1866 के हाल नक्शा ट्रेस के अंकित डोटेड लाइन जो दक्षिण तरफ है को प्रार्थीगण की आ०न० 1866 मे सुधार करते हुये दर्शाया जाकर नक्शा तरमीम करने का आदेश फरमाया जावे।

मदनलाल

उप जिला कलेक्टर एवं
अधिकारी, कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पैरोकार स्वरूप से पक्षकार प्रार्थना-पत्र मन्जूर कर पेरा 3 आंशिक स्वीकार करते हुवे मौजा कपासन के आरा० 1866 के अन्दर 80 व०मी कोराने सेटलमेन्ट बिगत के मुकाबले हाल नक्शे मे कम करते हुवे नक्शा त्रुटिपूर्ण कर दिया है जो आरा० 1891 मे से पश्चिम मे 6 मीटर दक्षिण मे 20 मीटर तथा पूर्व मे 2 मीटर की तरमीम 1866 की दक्षिणी मेर के की जा सकती है व कमी नक्शे को पुरा किया जा सकता है। हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर यह निर्णय लिया जाता है कि मौजा कपासन की आरा० 1891 मे से पश्चिम मे 6 मीटर दक्षिण मे 20 मीटर तथा पूर्व मे 2 मीटर की तरमीम आरा० 1866 की दक्षिणी मेर मे की जाकर आरा० 1866 मे मिलाया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार हाल नक्शे मे तरमीम की जावे। तहसीलदार कपासन को तहरीर जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के दर्ज हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला-चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner